अशोक कुमार बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
2025/205
निर्णय दिनांकः–22.08.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–121/2025 — दर्ज तिथिः–27.06.2025

1. अशोक कुमार पुत्र हीराराम
2. उदाराम पुत्र भगाराम
3. किशनाराम पुत्र धुड़ाराम
4. जगमालराम पुत्र विरधाराम
5. जनता पत्नी किशनाराम
6. पूनमाराम पुत्र सागराराम
7. पांचाराम पुत्र सागराराम
8. बिरबल पुत्र हीराराम
9. मोहनलाल पुत्र धुड़ाराम
10. रूगनाथ पुत्र विरधाराम
11. रमेश कुमार पुत्र हीराराम
12. विमला देवी पत्नी श्रवण कुमार
13. सुदामाराम पुत्र भगाराम
14. सुरेश पुत्र जगमाल
15. सुरेश पुत्र हीराराम
16. सोहनलाल पुत्र धूड़ाराम
17. सोहनी पत्नी जगमाल
18. हीरा देवी पत्नी हीराराम

जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना

.........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः–पैरोकार सरकार

Signature Not Verified

[illegible]–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
[illegible] अधि.–1956

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]मन्ना, बाड़मेर

अशोक कुमार बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
2025 / 205
निर्णय दिनांकः–22.08.2025

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–22.08.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी आराजीयात खसरा संख्या 502 / 11.6711 है0 वाके ग्राम कोजा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में आया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा सहमति से राज्य सरकार के पक्ष में रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पण करवाया जिसका नामान्तकरण दायर कर रास्ता की तरमीम कर अलग खसरा संख्या 502 / 1 / 0.1781 है0 कायम किया गया। हल्का पटवारी द्वारा समर्पणनामा के खसरा संख्या 502 / 1 की तरमीम कल्मी त्रुटि से प्रार्थीगण के घर के उपर कर दी जबकि मौके अनुसार तरमीम नहीं कि गई अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 2022 दिनांक 05.08.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित कथन किया कि समर्पणनामा खसरा संख्या 502 में समर्पण भूमि संकेत मौके के अनुसार न होकर भिन्न है । समर्पित भूमि का हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 784 दायर किया गया जिसके पुश्त के पीछे नजरी नक्शा (तरमीम) दर्शायी गई है जो कि नक्शा ट्रेस व वर्तमान भू नक्शा से भिन्न है। अतः खसरा संख्या 502 / 1 रकबा 0. 1781 है0 की वर्तमान तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार शुद्द किया जाना उचित है का कथन किया गया है।

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट ब के अनुसार खसरा संख्या 502 / 1 रकबा 0.1781 है0 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक मौके के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं	1. पैरोकार सरकार ने मौका रिपोर्ट में तरमीम दुरस्त करने में अनापती जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित होने का कथन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

रहेगा तथा खसरों के क्षेत्रफल भी यथावत रहेंगे इसलिए परिशिष्ट ब' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमना की मौका रिपोर्ट के संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने पर प्रार्थीगण सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थीगण के खसरा संख्या 502/1 रकबा 0.1781 है0 वाके ग्राम कोजा पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमना की तरमीम तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2025 अनुसार के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:38 IST
Reason: SelfAttested